तेजिंदर सिंह ढिंढसा न्यायमूर्ति के समक्ष.

श्री कांत पुत्र श्री रतन लाल -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण

2017 का सीडब्ल्यूपी No.17545

17 जुलाई, 2019

भारत का संविधान, 1950-अन्नुछेद 226 और 227-धन का दावा-रिट अधिकार क्षेत्र का कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं-याचिकाकर्ता ठेकेदार ने स्वीकार किया कि नगर परिषद, भिवानी द्वारा आवंटित कार्यों को 2005-06 में निष्पादित किया- भुगतान 2015-16 में जारी किया गया - बार-बार मुकदमेबाजी -ब्याज दिया गया- संविधानिक अधिकारी भुगतान को रोक नहीं सकते।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता ने एक ठेकेदार की हैसियत से नगर परिषद, भिवानी द्वारा उसे आवंटित कार्यों को वर्ष 2005-2006 में निष्पादित किया था और उसके बदले में भुगतान केवल वर्ष 2015-2016 में जारी किए गए हैं।यहां तक कि इस तरह के भुगतान बार-बार मुकदमेबाजी के बाद जारी किए गए थे और याचिकाकर्ता को कई रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर किया गया था और जिसमें

प्रतिवादी-प्राधिकरणों को दावे की जांच करने और उस पर निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। संविधानिक प्राधिकारियों को उस भुगतान को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके लिए याचिकाकर्ता काम पूरा होने पर हकदार था। भले ही तत्काल रिट याचिका में मांगी गई राहत को धन के दावे के रूप में देखा जा सकता है और जिसके लिए एक नागरिक उपाय भी उपलब्ध हो सकता है, फिर भी कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक वैकल्पिक उपाय एक पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा और उपयुक्त मामलों में याचिकाओं पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार किया जा सकता है।

(पैरा 11)

मणि राम वर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

सिद्धार्थ सांवरिया, डी. ए. जी, हरियाणा।

जगदीश मनचंदा, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 5 के लिए।

तेजिंदर सिंह धिंदसा, न्यायमूर्ति.

(1) वर्तमान रिट याचिका कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 15.5.2017, अनुलग्नक पी १० के खिलाफ दाखिल की गई है। निष्पादित कार्यों के बदले में उसे किए गए विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना को अस्वीकार करता है।

(2) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह एक ठेकेदार है और वर्ष 2005-06 में उसके द्वारा कई विकास कार्यों को निष्पादित किया गए थे। यह माना गया है कि इस तरह के कार्यों को नगर परिषद, भिवानी द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्य आदेश जारी किए जाने पर निष्पादित किया गया था। विचाराधीन कार्य निर्धारित दरों के आधार पर किए गए थे। कार्यों के पूरा होने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा उनका विधिवत सत्यापन और निरीक्षण किया गया था और वे संतोषजनक और तकनीकी रूप से सही पाए गए थे। याचिकाकर्ता को Rs.92 लाख की राशि देय हो गई थी। अपेक्षित भुगतान जारी नहीं किया गया था। नगर परिषद, भिवानी ने 18.10.2010 पर एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विकास, हरियाणा से परिषद की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए ठेकेदार को बकाया राशि के वितरण के लिए एक विशेष राशि की मंजूरी देने का आह्वान किया गया। Rs.16,28,096/- की राशि का भुगतान 16.4.2015 पर किया गया और उसके बाद मार्च, 2016 में Rs.59,91,428/- का भुगतान जारी किया गया और अप्रैल, 2016 में रु. 9,57,536 का भुगतान जारी किया गया।वर्ष 2005-06 में पूरे किए गए और निष्पादित किए गए कार्यों के संबंध में बकाया राशि जारी करने में देरी की ऐसी पृष्ठभूमि के खिलाफ कि ब्याज का दावा किया गया था और इसे दिनांक 15.5.2017, अनुलग्नक P10 के विवादित आदेश के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया है।

(3) प्रतिवादी संख्या 5-नगर परिषद, भिवानी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने ब्याज से इनकार करने को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की कि याचिकाकर्ता ने पहले भुगतान जारी करने की मांग उठाते हुए 2015 की सिविल रिट याचिका 10113 दायर की थी और जिसका निपटारा 20.5.2015 पर किया गया था ताकि याचिकाकर्ता को आदेश पारित होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उपायुक्त, भिवानी, उप-मंडल अधिकारी (नागरिक), नगर समिति, भिवानी और कार्यकारी अधिकारी, नगर समिति, भिवानी, जिला भिवानी के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी जा सके और निर्देश जारी किए गए कि यदि ऐसा अभ्यावेदन किया जाता है, तो दो महीने की अवधि के भीतर इसका फैसला किया जाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांकित 25.5.2015, अनुलग्नक पी5, एक अभ्यावेदन दिया था, और जिसमें दावा केवल Rs.92 लाख की मूल बकाया राशि के संबंध में था, न कि ब्याज के संबंध में। तदनुसार, यह आग्रह किया जाता है कि याचिकाकर्ता अब बकाया राशि जारी करने में देरी के कारण ब्याज के संबंध में आंदोलन नहीं कर सकता है। इसके अलावा, रिट याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए यह तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय दावेदार को देय राशि का भुगतान करने के लिए अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न नागरिक दायित्व को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं करेगा।यह तर्क दिया जाता है कि याचिका में किया गया दावा शुद्ध धन का दावा है जिस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

(4) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर अभिवचनों का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांकित 15 .5. 2017 का विवादित आदेश, अनुलग्नक पी10 कायम नहीं रह सकता है और याचिकाकर्ता अपने द्वारा निष्पादित कार्यों के बदले भुगतान में विलम्ब होने पर ब्याज लेने का हकदार है।

(5) प्रतिवादी No.5/Executive अधिकारी, नगर परिषद, भिवानी की ओर से दायर किए गए लिखित बयान में इस न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इसमें तथ्य के विवादित प्रश्न शामिल हैं। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने काम के आवंटन के संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है।आवंटित कार्यों का विवरण भी नहीं दिया गया है। यह भी कहा गया है कि इस बात की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि जो काम किया गया है वह तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया था और कोई भी अनुमोदन या पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

(6) हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पेश अधिवक्ता मनचंदा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि विचाराधीन कार्यों को याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित और पूरा किया गया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि नगर परिषद की अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण याचिकाकर्ता को

निष्पादित कार्यों के बदले भुगतान नहीं किया जा सका। उन्होंने आगे इस बात पर विवाद नहीं किया कि नगर परिषद ने निदेशक, शहरी स्थानीय निकायों, हरियाणा से धन की मंजूरी के लिए कहा था ताकि भुगतान को ठीक किया जा सके क्योंकि याचिकाकर्ता/ठेकेदार बार-बार देय राशि जारी करने के लिए अभ्यावेदन/नोटिस भेज रहे थे। यहां तक कि याचिकाकर्ता को देय मूल राशि का भुगतान, भले ही देर से किया गया हो, रिकॉर्ड का विषय है।

(7) विवादित तथ्यों के संबंध में लिखित बयान में उठाई जाने वाली आपत्ति और बचाव का उल्लेख दिनांक 15.5.2017, अनुलग्नक P10 के विवादित आदेश में भी नहीं मिलता है। इस न्यायालय को यह टिप्पणी करने में कोई संकोच नहीं होगा कि लिखित बयान केवल दावे का विरोध करने के लिए दायर किया गया है।तत्काल याचिका में तथ्य के कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं हैं।

(8) इस न्यायालय ने पाया कि वर्ष 2005-06 में निष्पादित और पूरा किए गए कार्यों के संबंध में वर्ष 2015-16 में याचिकाकर्ता के भुगतान जारी करने में प्रतिवादी-प्राधिकरणों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित है।

(9) मेसर्स बर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम द स्टेट ऑफ उड़ीसा और अन्य 1 में विचार था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय अनुबंध के उल्लंघन से उत्पन्न नागरिक दायित्व को लागू नहीं करेंगे क्योंकि यह शुद्ध धन का दावा होगा। भारतीय खाद्य निगम और एक अन्य बनाम मेसर्स सील लिमिटेड और अन्य 2 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले पर ध्यान दिया था मेसर्स बर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) में प्रस्तुत किया गया और था यह पाया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 को वर्षों से एक उदार व्याख्या मिली है। उपयुक्त मामलों में जहां तथ्य का कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं है, उच्च न्यायालय रिट याचिकाकर्ता को ऐसी राहत दे सकता है जिसका वह कानून के साथ-साथ निष्पक्षता में भी हकदार होगा।

(10) एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड और एक अन्य बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य 3 में यह आयोजित किया गया था।

कि एक बार जब राज्य या राज्य का कोई साधन किसी अनुबंध का पक्षकार हो जाता है, तो कानून में इसका दायित्व है कि वह निष्पक्ष, न्यायसंगत और यथोचित रूप से कार्य करे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता है।

(11) वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता ने एक ठेकेदार के रूप में नगर परिषद, भिवानी द्वारा उसे वर्ष 2005 - 2006 में आवंटित कार्यों को पूरा किया था और उसके बदले में भुगतान केवल वर्ष 2015 - 2016 में जारी किए गए हैं।यहां तक कि

इस तरह के भुगतान बार-बार मुकदमेबाजी के बाद जारी किए गए थे और याचिकाकर्ता को कई रिट याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर किया गया था और जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकरणों को दावे की जांच करने और उस पर निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। संविधानिक प्राधिकारियों को उस भुगतान को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसके लिए याचिकाकर्ता काम पूरा होने पर हकदार था। भले ही तत्काल रिट याचिका में मांगी गई राहत को धन के दावे के रूप में देखा जा सकता है और जिसके लिए एक नागरिक उपाय भी उपलब्ध हो सकता है, फिर भी कई मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक वैकल्पिक उपाय एक पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगा और उपयुक्त मामलों में याचिकाओं पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार किया जा सकता है।इस संबंध में संदर्भ **संजना एम विग** (सुश्री) बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 **में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर किया जा सकता है**

1 ए. आई. आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 1320

2 (2008) 3 एससीसी 440

3 (2004)3 एस. सी. सी. 553

(12) आक्षेपित आदेश में ब्याज से इनकार करने का आधार अर्थात याचिकाकर्ता ने दिनांकित 25.5.2015, अनुलग्नक पी5 में ब्याज का दावा नहीं किया था, और इसके परिणामस्वरूप, वह अब इस तरह के दावे का विरोध नहीं कर सकता है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा 2015 की सिविल रिट याचिका का निपटारा करते समय रिट कोर्ट द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में 25.5.2015, अनुलग्नक P5 का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।प्रतिवादी-प्राधिकरणों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 2.9.2016 अनुलग्नक पी 6 को एक कानूनी नोटिस उन्हें दे दिया था और जिसमें भुगतान जारी करने में देरी के कारण प्रति वर्ष 24 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का एक विशिष्ट दावा किया गया था। इस तरह के कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिए जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक सिविल रिट याचिका संख्या 23826 वर्ष 2016 दायर की और जिसका निपटारा आदेश दिन्नांक 18.11.2016, अनुलग्नक पी7 में के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रतिवादी-प्राधिकरणों से दिनांक 2.9.2016 के कानूनी नोटिस पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया। प्रतिवादी -प्राधिकरणों द्वारा मामले में कार्यवाही न करने के बाद, एक अवमानना नोटिस दिनांक 20.3.2017 दिया गया था और उसके बाद 2017 का COCP No.1101 इस अदालत में दायर किया गया था। अवमानना याचिका में नोटिस जारी किए जाने के बाद

दिनांक 15.5.2017, अनुलग्नक P10, पारित किया गया और इसके परिणामस्वरूप, अवमानना याचिका का अनुलग्नक P9 पर 19.7.2017 पर निपटारा किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए कि यदि वह अभी भी किसी भी तरह से व्यथित था, तो वह उचित उपाय का लाभ उठा सकता है। यह अवमानना न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी स्वतंत्रता के संदर्भ में है कि तत्काल रिट याचिका दायर की गई थी। ब्याज के लिए याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता था कि दिनांक 25.5.2015, अनुलग्नक P5 में, याचिकाकर्ता ने पहले जमा किए गए अभ्यावेदन में ब्याज के लिए दावा नहीं किया था।

(13) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, तत्काल रिट याचिका की अनुमति है।अनुलग्नक पी10 पर दिनांकित 15.5.2017 के आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया है।

(14) विचाराधीन कार्यों को याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2005-06 में निष्पादित और पूरा किया गया था।इसके बदले भुगतान वर्ष 2015-16 में जारी किए गए हैं।याचिकाकर्ता को बकाया राशि जारी करने में लगभग दस साल की देरी हुई है।

(15) हालाँकि, Mr.Jagdish मनचंदा द्वारा दिए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए, अधिवक्ता ने कहा कि नगर परिषद, भिवानी के पास धन की भारी कमी है

4 (2005) 8 SCC 242 254

और इक्विटी को संतुलित करने के लिए, याचिकाकर्ता को मूल राशि पर गणना करने के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार माना जाता है जो पहले ही जारी की जा चुकी थी और जिसकी गणना पांच साल की अवधि में की जानी थी। तदनुसार, अपेक्षित ब्याज राशि की गणना की जानी चाहिए और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाना चाहिए।

(16) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण - सथानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है! सभी व्यावहारिक एंड अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा!

ramesh kumar